प्रेस विज्ञप्ति बिजनौर पुलिस दिनांकः– 15.07.2021

प्रेस नोट थाना कोतवाली देहात

स्वाट टीम/थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा लूट की घटना का पर्दाफाश

लूट के 2,52,000/रूपये, घटना में प्रयुक्त 02 मोटरसाइकिल व 03 मोबाईल फोन सहित 04 शातिर लूटेरे गिरफ्तार।

दिनांक 14.06.2021 को श्री गोपाल दत्त शर्मा पुत्र केशव दत्त शर्मा मूल निवासी गांव टुकरा पोस्ट टुकरा पट्टी (सल्ट) तहसील मौलेखान रानी खेत जनपद अल्मोडा (उत्तराखण्ड) हाल निवासी मौ0 रमपुरा थाना नजीबाबाद, जनपद बिजनौर अपनी सहयोगी राजकुमारी के साथ किसान सेवा सहकारी लि0 समिति से 10,78,983/रूपये का बैग लेकर मोटर साईकिल DL 6 SQ 4292 से **(पैसों का बैग मोटर साईकिल के बैग में रखकर)** जिला सहकारी बैंक कोतवाली जा रहा था। जब यह लोग रामपुर से अकबराबाद वाली सडक पर पीर के पास नहर पुल पर पहुँचे तो 02 मोटरसाईकिल पर सवार 04 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोपाल दत्त शर्मा उपरोक्त की ऑखों में मिर्ची पाउडर डालकर उससे रूपयो का बैग लूट लिया। **इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 130/2021 धारा 392 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।**

इसी क्रम में स्वाट/सर्विलांस टीम व थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए आज दिनाँक 15.07.2021 को स्वाट/सर्विलांस टीम तथा थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1–पुष्पेन्द्र पुत्र मुनीराज सिंह 2–रोहित पुत्र रामदयाल सैनी 3–अर्जुन पुत्र हुकम सिंह 4–चेतनराज उर्फ चिन्टू पुत्र स्व0 सूरजपाल को मय लूट के 2,52,000/रुपये तथा घटना मे प्रयुक्त दो अदद मोटरसाईकिले व 03 अदद मोबाईल फोन सहित गिरफ्तार किया गया।

विवरण पूछताछ–

अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा पूछताछ करने पर बताया कि लॉकडाउन के कारण हम लोगो को कोई काम नही मिल पाया जिस कारण हम लोगो पर काफी कर्ज हो गया था। चेतनराज उर्फ चिन्टू की माता श्रीमति राजकुमारी सहकारी सोसाइटी बेगमपुर शादी उर्फ रामपुर मे काम करती है तथा इस बात की जानकारी चिन्टू ने पहले ही हम लोगो को दी थी कि मेरी माँ प्रतिदिन सोसाइटी से रुपयो को लेकर जमा करने के लिए सहकारी बैंक कोतवाली जाती है, जिनके साथ कोई सुरक्षा नही रहती है। इस पर हम लोग सही समय का इन्तजार करने लगे तथा दिनांक 14.06.2021 को चिन्टू ने हम लोगो को फोन करके बताया कि मेरी माँ गोपालदत्त शर्मा के साथ करीब 10 लाख रुपये लेकर निकली है। इस पर हम लोगो ने आपस मे योजना बनाकर उनका पीछा किया, जब ग्राम रामपुर से निकले तो पीर के पास 02 मोटरसाईकिल पर सवार हम 04 लोगो ने आगे से मोटर साइकिल लगाकर रोक लिया तथा गोपाल दत्त शर्मा की आँखो मे मिर्ची पाउडर डालकर रुपयो का बैग लेकर भाग गये तथा आपस मे रूपयो को बराबर–बराबर बांट लिया था।

इन अभियुक्तगण का गैंग पंजीकरण कराया जा रहा है तथा इनके विरूद्ध गैंगस्टर की कार्यवाही की जायेगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः–

1–पुष्पेन्द्र पुत्र मुनीराज सिंह निवासी ग्राम कस्बा कोटरा थाना नगीना, बिजनौर

2–रोहित पुत्र रामदयाल सैनी निवासी मौ0 कस्बा थाना नगीना, बिजनौर

3–अर्जुन पुत्र हुकम सिंह निवासी मौ0 नेजोवाली गावड़ी थाना नगीना, बिजनौर

4–चेतनराज उर्फ चिन्टू पुत्र स्व0 सूरजपाल मूल निवासी ग्राम खालाम्पुर थाना हरदुआगंज अलीगढ़ हाल किरायेदार दीपक गर्ग नसीम टेलर के सामने मौ0 मुगलान थाना नगीना, बिजनौर

<u>फरार अभि0 का नाम व पता</u>

1–जुल्फकार पुत्र लियाकत निवासी ग्राम दौलताबाद थाना कोतवाली देहात, बिजनौर

<u>गिरफ्तारी का स्थान व दिनाँकः–</u>

दिनाँक 15.07.2021 समय 04:30 बजे, नजीबाबाद तिराहा थाना कोतवाली देहात, बिजनौर।

<u>बरामदगी का विवरणः–</u>

1–लूट के 2,52,000/रुपये

2–02 अदद मोटरसाईकिल

3–03 अदद टच मोबाईल

<u>आपराधिक इतिहासः–</u>

<u>अभियुक्त रोहित उपरोक्त–</u>

1–मु0अ0सं0 87/2004 धारा 160 भादवि थाना नगीना, बिजनौर

2–मु0अ0सं0 1057/2006 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना नगीना, बिजनौर

3–मु0अ0सं0 0014/2009 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 थाना नगीना, बिजनौर

4–मु0अ0सं0 240/2011 धारा 395/397 भादवि व 3(2) एस सी एस टी एक्ट थाना नगीना, बिजनौर

5–मु0अ0सं0 406/2011 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना नगीना, बिजनौर

6–मु0अ0सं0 2009/2014 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 थाना नगीना, बिजनौर

7–मु0अ0सं0 37/2017 धारा 452/323/504 भादवि थाना नगीना, बिजनौर

8–मु0अ0सं0 1073/2006 धारा 307 (पुलिस मुठभेड) थाना नहटौर, बिजनौर

9–मु0अ0सं0 1074/2006 धारा 25 शस्त्र अधि0 थाना नहटौर, बिजनौर

10–मु0अ0सं0 1038/2006 धारा 394 भादवि थाना नहटौर, बिजनौर

11–मु0अ0सं0 705/2006 धारा 379/411 भादवि थाना कोटद्वार, उत्तराखण्ड

12–मु0अ0सं0 130/2021 धारा 392/411/120बी भादवि थाना कोतवाली देहात, बिजनौर

<u>अभियुक्त अर्जुन उपरोक्त–</u>

1–मु0अ0सं0 480/2019 धारा 271/273/420 भादवि व 60(1)/63 आबकारी अधि0 थाना नगीना, बिजनौर

2–मु0अ0सं0 430/2020 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना नगीना, बिजनौर

3–मु0अ0सं0 130/2021 धारा 392/411/120बी भादवि थाना कोतवाली देहात, बिजनौर

<u>गिरफ्तार करने वाली टीमः–</u>

1–प्रभारी निरीक्षक श्री लव सिरोही 2–व0उ0नि0 श्री मियांजान खाँ 3–उ0नि0 श्री भारत सिंह 4–का0 1054 परवेन्द्र सिंह 5–का0 97 पुष्पेन्द्र 6–का0 401 दीपक राणा 7–का0 1449 सहदेव 8–का0 25 खुर्शीद अहमद थाना कोतवाली देहात, बिजनौर

<u>स्वाट टीम–</u>

1–उ0नि0 श्री मनोज परमार 2–का0 मोहित शर्मा 3–का0 दीपक तोमर 4–का0 मोनू

5–का0 अरुण 6–का0 विकास बेसला 7–का0 सुनित

<u>टीम के उत्सावर्धन हेतु पुरस्कार राशि– 15,000/रूपये</u>

थाना मण्डावरः– आज दिनांक 15.07.2021 को थाना मण्डावर पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तगण 1– अजय सिंह पुत्र राकेश कुमार उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम गंजालपुर थाना मण्डावर जनपद बिजनौर 2– लक्ष्मीकान्त उर्फ लवी पुत्र सत्यपाल उम्र करीब 24 वर्ष निवासी ग्राम कामराजपुर थाना नांगल जनपद बिजनौर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी मे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

थाना स्योहाराः– आज दिनांक 15.07.2021 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा अभियुक्त नकुल पुत्र रमेश निवासी मौहल्ला हिंदू चौधरियान थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को मु0अ0सं0 359/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट मे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

थाना स्योहाराः– आज दिनांक 15.07.2021 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा 03 अभियुक्तगण 1– लोकेश 2– बृजेश पुत्रगण मुन्ने निवासी मौहल्ला चौधरियन थाना स्योहरा जनपद बिजनौर 3– टीकम पुत्र रामसिंह निवासी ग्राम अकबरपुर हरौली थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी मे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

थाना अफजलगढः– आज दिनांक 15.07.2021 को थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा अभियुक्त नरेंन्द्र पुत्र उदयवीर सिंह निवासी ग्राम नवाबपुरा थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर को मु0अ0सं0 172/21 धारा 354बी/452/506 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट 3(2)(5)क एससी एसटी एक्ट मे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

थाना मण्डावरः– आज दिनांक 15.07.2021 को थाना मण्डावर पुलिस द्वारा अभियुक्त अक्षय पुत्र नन्नू सिंह निवासी ग्राम मोहम्मदपुर देवमल थाना मण्डावर जनपद बिजनौर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी मे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

थाना मण्डावरः– आज दिनांक 15.07.2021 को थाना मण्डावर पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तगण 1– अफजल बेग पुत्र असगर बेग 2– फैजान पुत्र अफजल बेग निवासीगण मौहल्ला फराशटोली कस्बा/थाना मण्डावर जनपद बिजनौर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी मे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।